फाइल नं0-71-3006(003)/1/2022-03

104/2023/1/383008/2023

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनॉक 06 सितम्बर, 2023**

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2023-24 में हृदय रोग संस्थान, कानपुर तथा जे0 के0 कैंसर संस्थान, कानपुर में स्थापित चिकित्सकीय उपकरणों की ए0एम0सी0/सी0एम0सी0 हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2023-24/214, दिनांक 04.08.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व लेखा पक्ष में 2210-05-105-03-0376-राजकीय मेडिकल कालेजों में चिकित्सीय सेवाओं का संचालन हेतु 29-अनुरक्षण मद में प्राविधानित धनराशि रू0 2400.00 लाख के सापेक्ष उपकरणों की ए0एम0सी0/सी0एम0सी0/अनुरक्षण हेतु हृदय रोग संस्थान, कानपुर हेतु रू0 1,00,00,000.00 तथा जे0 के0 कैंसर संस्थान, कानपुर हेतु रू0 99,99,709.00 की धनराशि अर्थात् कुल धनराशि **रू0 1,99,99,709/- (रू0 एक करोड़ निन्यानबे लाख निन्यानबे हजार सात सौ नौ मात्र(** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तोकृति प्रदपाल महोदय सहर्ष स्वी के अधीन राज्यप्रतिबन्धों/ान करते है-:

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों-

1. अनुरक्षण मद में स्वीकृत की जा रही धनराशि का सदुपयोग सुसंगत वित्तीय नियमों/शासनादेशों के अधीन सुनिश्चित किया जाएगा तथा धनराशि के सद्व्यय हेतु संबंधित प्रधानाचार्य/निदेशक पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे।
2. उपकरणों की ए0एम0सी0 क्रय मूल्य के 03 प्रतिशत सीमा या क्रय के समय निविदा में अनुमोदित दर से की जायेगी।
3. उपकरणों की सी0एम0सी0 अधिकतम 05 प्रतिशत क्रय मूल्य की सीमा या क्रय के समय निविदा में अनुमोदित सी0एम0सी0 की दर से करायी जायेगी।
4. एक्सेसरीज एवं कन्ज्यूमेबिल्स का क्रय करने से पूर्व दर औचित्य का निर्धारण करना आवश्यक होगा। यदि क्रय के समय निविदा में एक्सेसरीज एवं कन्ज्यूमेबिल्स की दरों का भी अनुमोदन किया गया है तो उसी पर क्रय किया जायेगा।
5. ए0एम0सी0/सी0एम0सी0 हेतु मूल निर्माता/अधिकृत विक्रेता या उसके न होने पर ई-निविदा कराकर ए0एम0सी0 03 प्रतिशत की सीमा तथा सी0एम0सी0 05 प्रतिशत की सीमा में करायी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का 60 प्रतिशत चिकित्सीय व 40 प्रतिशत का व्यय गैर चिकित्सीय उपकरणों व अन्य हेतु किया जायेगा, इसमें विचलन की स्थिति में शासन की अनुमति अनिवार्य होगी।
7. टेण्डर डाक्यूमेन्ट एवं फर्म का चयन की प्रक्रिया में फर्म द्वारा संलग्न किये गये समस्त प्रकार के प्रपत्रों की जॉच एवं सत्यापन कालेज स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जायेगा।
8. किसी भी अन्यथा या विषम स्थिति में उत्तरदायित्व निदेशक/क्रय समिति का होगा।
9. वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ए- 1-864/ दस- 08-15(1)/86, दिनॉक 23.09. 2008 में वर्णित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 2/2023/ बी- 1-227/ दस- 2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,99,99,709 (रुपये एक करोड़ निन्यानबे लाख निन्यानबे हजार सात सौ नौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 031 शीर्षक 2210051050376 राजकीय मेडिकल कालेजों में चिकित्सीय सेवाओं का संचालन मानक मद 29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 2/2023/ बी- 1-227/ दस- 2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव।

<u>संख्या-उपरोक्त तद्दिनॉक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर/जे0 के0 कैंसर संस्थान, कानपुर।
3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in